अपील प्र0 सं0 23/2017 अनवानी नाहरसिंह उर्फ नर सिंह आदि बनाम प्रीतम सिंह(फौत) नसीब कौर आदि

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

20.02.2025

पत्रावली पेश। पत्रावली में रेस्पोडेंट संख्या 1/5 जसपाल सिंह द्वारा जरिये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 96(3) सीपीसी पर बहस पूर्व पेशी पर सुनी जा चुकी है। उक्त प्रार्थना पत्र के आदेश हेतु पेश हुई।

अभिभाषक रेस्पोडेंन्ट संख्या 1/5 ने प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 96(3) सीपीसी की बहस में कथन किये कि यह कि विवादित भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान के संयुक्त खाता की भूमि थी। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट ने आपसी सहमति एवं राजीनामा से तहसीलदार हनुमानगढ़ के विभाजन हेतु प्रार्थना पत्र एवं सहमति एवं विभाजन प्रस्ताव एवं शपथ पत्र पेश करके खाता विभाजन करवाया है। मुताबिक कानून सहमति एवं राजीनामा के जरिये कोई निर्णय किया जाता है जिसमें सभी पक्षकार सहमत हो तो ऐसे निर्णय के विरुध अपील पोषनीय नहीं है। इस प्रकरण में सभी पक्षकारान की सहमति से तहसीलदार द्वारा खाता तकसीम किया गया है इसलिए अपीलान्ट को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। अपील पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त कानूनी बिन्दु पर गौर करके प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया पाकर अपील अपीलान्ट पोषनीय नहीं होने के कारण Reject फरमाई जावे। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—

1. DNJ 2006 (3) Page 764 सुप्रीम कोर्ट
2. RRT 2011 (1) Page 306 DB पैरा 9
3. RRT 2015 (2) Page 1420 DB
4. RRT 2016 (1) Page 258
5. RRT 2018 (2) Page 1341DB
6. RRT 2018 (2) Page 1485 DB
7. RRT 2023 (2) Page 1300

अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सहमति पत्र प्रस्तुत कर खाता विभाजन करवाया हो। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई सहमति नहीं दी बल्कि अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों के अनुसार अपीलाण्ट के खाली स्टाम्पो व कागजो पर अंकित अंगूठा निशान पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने परस्पर साजिश रचकर मिथ्या दस्तावेज तैयार कर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है तथा इस प्रकार मिथ्या दस्तावेज के आधार पर पारित आदेश को चुनौती देने के लिए अपीलाण्ट अपील करने से वृजित नहीं है। अपीलाण्ट का यह कथन नहीं है कि उसे मुगालते में रखकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सहमति के अंगूठा निशान करवाये हो बल्कि अपीलाण्ट का यह स्पष्ट कथन है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं आया तथा रेस्पोडेंट सख्या 1 से 3 ने खाली स्टाम्प व खाली कागजो पर अपीलाण्ट द्वारा अंकित अंगूठा निशानी का दुरूपयोग कर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों की रोशनी में अपीलाण्ट की अपील में कथित रूप से धारा 96 (3) सीपीसी के प्रावधानों लागू नहीं होते। प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट संख्या 1/5 निराधार है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट संख्या 1/5 सव्यय खारिज फरमाया जावे। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—

1. RRD 1978 Page 11
2. RRD 1986 Page 187
3. RRD 1986 Page 666
4. RBJ 2004 Page 261
5. RRD 2006 Page 397
6. CCC 2015 (3) Page 362
7. CCC 2020 (3) Page 370
8. ORDER 43 R-1A

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्धृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

1. अपीलाण्ट व रेस्पोडेंन्ट्स की सयुक्त भूमि को उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र , अनुबंध पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी के आधार पर तहसीलदार (भू0अ0) हनुमानगढ़ आदेश कमांक 4545–46 दिनांक 29.11.2005 से विभाजन स्वीकार किया गया है।
2. आवेदन पत्र एवं अनुबंध पत्र के सभी पृष्ठों पर पक्षकारों के अंगुठा निशान एवं हस्ताक्षर अंकित है, जिनकी पहचान पटवार हल्का फतेहगढ़ द्वारा की गई है। तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा आदेश उभयपक्ष की सहमति से पारित किया गया है।
3. जहां तक सहमति पत्र एवं अनुबंध पत्र पर साजिश रचकर मिथ्या दस्तावेज तैयार कर विभाजन आदेश पारित करने का प्रश्न है, इस सम्बध में सहमति पत्र के निस्तारण करने हेतु अपीलाण्ट्स सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वंतत्र है।
4. अभिभाषक रेस्पोडेंन्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय की नजीरें बखुबी चस्पा होती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96(3) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलाण्ट्स पोषणीय नही होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)